

संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति)

अधिनियम, 1970

[क्र० 37 सन् 1970]

अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 1987

क्र० 3813 - 342 सोलह-ए- 87- कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4051-400-सोलह- ए-84 -श्रम दिनांक 20 जुलाई 198 में को निष्प्रभावी करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय 3 के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि वे उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर करेंगे-

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी	क्षेत्र
1.	सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर	राजस्व जिला, इन्दौर एवं श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर की अनुपस्थिति में राजस्व जिले पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़, श्रम पदाधिकारी, धार की अनुपस्थिति में राजस्व जिला धार एवं श्रम पदाधिकारी, देवास की अनुपस्थिति में राजस्व जिला देवास, एवम् श्रम पदाधिकारी, झाबुआ की अनुपस्थिति में राजस्व जिला झाबुआ ।
2.	श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर	पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़ के राजस्व जिले ।
3.	श्रम पदाधिकारी, देवास	देवास का राजस्व जिला ।
4.	सहायक श्रमायुक्त, उज्जैन	राजस्व जिला, उज्जैन एवम् श्रम पदाधिकारी, रतलाम की अनुपस्थिति में राजस्व जिला, रतलाम एवं श्रम पदाधिकारी, मंदसौर की अनुपस्थिति में राजस्व जिला, मन्दसौर एवं श्रम पदाधिकारी, शाजापुर की अनुपस्थिति में राजस्व जिला, शाजापुर ।
5.	श्रम पदाधिकारी, रतलाम	रतलाम का राजस्व जिला ।
6.	श्रम पदाधिकारी, मन्दसौर	मन्दसौर का राजस्व जिला ।

7.	सहायक श्रमायुक्त, ग्वालियर	राजस्व जिला ग्वालियर, भिण्ड मुरैना शिव-पुरी एवं दतिया तथा श्रम पदाधिकारी, गुना की अनुपस्थिति में राजस्व जिला गुना ।
8.	सहायक श्रमायुक्त, भोपाल	राजस्व जिला भोपाल सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं श्रम पदाधिकारी होशंगाबाद की अनु-पस्थिति में राजस्व जिला होशंगाबाद एवं श्रम पदाधिकारी विदिशा की अनुपस्थिति में राजस्व जिला विदिशा एवं श्रम पदाधिकारी, बैतूल की अनुपस्थिति में राजस्व जिला बैतूल ।
9.	सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर	राजस्व जिला जबलपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर एवं राजस्व तहसील पाटन, श्रम पदाधिकारी, बालाघाट की अनुपस्थिति में राजस्व जिला बालाघाट, श्रम पदाधिकारी मण्डला की अनुपस्थिति में राजस्व जिला मण्डला एवं श्रम पदाधिकारी कटनी की अनु-पस्थिति में राजस्व तहसील कटनी, मुरावाड़ विजयराघोगढ़ एवं सिहोरा ।
10.	सहायक श्रमायुक्त, बालाघाट	बालाघाट का राजस्व जिला ।
11.	सहायक श्रमायुक्त, कटनी	कटनी मुरवाड़ा एवं सिहोरा की राजस्व तहसील ।
12.	सहायक श्रमायुक्त, सागर	राजस्व जिला सागर, छतरपुर टीकमगढ़ एवं पन्ना तथा श्रम पदाधिकारी, दमोह की अनु-पस्थिति में राजस्व जिला दमोह ।
13.	सहायक श्रमायुक्त, सतना	राजस्व जिला सतना एवं श्रम पदाधिकारी रीवां की अनुपस्थिति में राजस्व जिला रीवां एवं श्रम पदाधिकारी शहडोल की अनुपस्थिति में राजस्व जिला शहडोल ।
14.	सहायक श्रमायुक्त, रायपुर	राजस्व जिला रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर तथा श्रम पदाधिकारी, राजनांदगांव की अनुपस्थिति में राजस्व जिला राजनांदगांव ।
15.	सहायक पदाधिकारी, राजनांदगाँव	राजनांदगांव का राजस्व जिला ।
16.	सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर	राजस्व जिला बिलासपुर (जिसमें कोरबा एवं कटघोरा तहसील सम्मिलित नहीं है) एवं श्रम पदाधिकारी, कोरबा की अनुपस्थिति में राजस्व में तहसील कोरबा एवं कटघोरा तथा श्रम पदाधिकारी रायगढ़ की अनुपस्थिति में

		राजस्व जिला रायगढ़ एवं श्रम पदाधिकारी सरगुजा की अनुपस्थिति में राजस्व जिला सरगुजा ।
17.	श्रम पदाधिकारी, कोरबा	कोरबा एवं कटघोरा की राजस्व तहसील ।
	श्रम पदाधिकारी, विदिशा	विदिशा का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, शहडोल	शहडोल का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, दमोह	दमोह का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, गुना	गुना का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, झाबुआ	झाबुआ का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, मंडला	मण्डला का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, धार	धार का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, सरगुजा	सरगुजा का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी होशंगाबाद	होशंगाबाद का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, रायगढ़	रायगढ़ का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, बैतूल	बैतूल का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, रीवा	रीवा का राजस्व जिला ।
	श्रम पदाधिकारी, शाजापुर	शाजापुर का राजस्व जिला ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचन के प्रयोजनों के लिये "अनुपस्थित अभिप्रत अपने कर्तव्य से एक बार में नौ दिन से अधिक के अवकाश के कारण या अन्यथा अनुपस्थित रहना ।

[यह अधिसूचना म० प्र० राजपत्र भाग 1 दिनांक 16-10-87 के पृष्ठ 2116 से 2118 पर प्रकाशित हुई ।]